

दैनिक मासिक

भागलपुर, बुधवार, 9 सितंबर, 2020 | 7

बिहार सरकार

कार्यालय:- अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

अल्पकालीन निविदा

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मेडिकल गैस की आपूर्ति हेतु मेडिकल गैस आपूर्तिकर्ता / प्राधिकृत विक्रेता से मुहर बंद निविदा दिनांक- 21.09.2020 तक निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अधीक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा से प्राप्त किया जा सकता है। तथा निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाइट jnktmchmadhepura.org/ state.bihar.gov.in/ prdbihar पर देखी जा सकती है।

निविदा प्राप्त के अंतिम तिथि- 21.09.2020 (संध्या 05:00) बजे के अगले कार्यालय कार्य दिवस को क्रय समिति के समक्ष तकनिकि निविदा दिनांक- 23.09.2020 को खोला जायेगा। उस दिन अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

अधीक्षक

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

PR. No. 006206(Health) 2020-21

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु Toll Free No.: 104 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्वाय सामग्री- संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सुझाव हेतु दूरभाष संख्या 0612-2217636 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यालय:- अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

-:अल्पकालीन निविदा:-

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मेडिकल गैस की आपूर्ति हेतु मेडिकल गैस आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत विक्रेता से मुहर बंद निविदा दिनांक- 21.09.2020 तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अधीक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा से प्राप्त किया जा सकता है। तथा निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाइट jnktmchmadheपुरा.org/ state.bihar.gov.in/ prdbihar पर देखी जा सकती है।

निविदा प्राप्त के अंतिम तिथि- 21.09.2020 (संध्या 05:00)बजे के अगले कार्यालय कार्य दिवस को क्रय समिति के समक्ष तकनिकि निविदा दिनांक- 23.09.2020 को खोला जायेगा। यदि उस दिन अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।


अधीक्षक

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा


02/9/20

अल्पकालिन निविदा

ज्ञापांक.....272...../मधेपुरा, दिनांक.....02...../.....09...../2020

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल गैस की आपूर्ति हेतु मेडिकल गैस आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत विक्रेता से मुहरबंद निविदा दिनांक-21.09.2020 तक निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अधीक्षक कार्यालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से प्राप्त किया जा सकता है, तथा निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाइट www.jnktmchmadhepura.org पर देखी जा सकती है।

अल्पकालिन निविदा में संलग्न होने वाले आवश्यक अभिलेखों की सूची:-

1. Letter Head पर नाम, पता, दूरभाष संख्या के साथ।
2. निविदादाता/निर्माता/फर्म/एजेंसी का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र की स्पष्ट छयाप्रति।
3. आयकर के पैनकार्ड एवं तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छयाप्रति।
4. जमानत की राशि 5,00,000 (पाँच लाख) रुपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ जो अधीक्षक मधेपुरा, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के पदनाम से देय होगा। लघु उद्योग ईकाई से निबंधित कंपनी/एजेंसी को जमानत की राशि में नियमानुकूल छूट देय होगा।
5. काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निर्माता/निर्माता कम्पनी द्वारा प्राधिकृत फर्म/एजेंसी को निविदा प्राप्ति के अन्तिम तिथि तक तीन वर्ष पूर्व का निबंधन/अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदनुसार प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को राष्ट्रीय परीक्षणशाला से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अतएव निविदादाता/निर्माता को अपने निर्माता कम्पनी को राष्ट्रीय परीक्षणशाला से प्राप्त मान्यता का प्रमाण-पत्र/ सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. तकनीकी निविदा के साथ दिये गये कागजातों से संबंधित क्रमवार Printed Check List लगाना होगा, साथ ही निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा इस निविदा में जितनी भी सूचना/अभिलेख/कागजात दी जा रही है वो पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है। इसे गलत पाये जाने पर इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाऊँगा और मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाई के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होंगे।
9. निविदादाता को निविदा के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र, भौतिक अस्तित्व, ननकनविक्शन प्रमाण-पत्र एवं गैस निर्माता द्वारा निर्गत आपूर्तिकर्ता होने का प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा।


निविदा की शर्तें

1. निविदा दो प्रकार की होगी (i) तकनीकी निविदा एवं (ii) वित्तीय निविदा
2. निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद कर पुनः एक बड़े लिफाफे में दोनों निविदा को डालकर मुहरबंद करते हुए लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से मेडिकल गैस की आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा।
3. निविदा में निर्माता कंपनी या निर्माता कंपनी द्वारा प्राधिकृत फर्म/एजेंसी ही भाग ले सकते हैं।
4. निविदादाता को अपना नाम एवं पूरा पता अपने लेटर पैड पर अंकित करना होगा।
5. निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि-21.09.2020(संध्या-04:00) के अगले कार्यालय कार्य दिवस को क्रय समिति के समक्ष तकनीकी निविदा दिनांक-23.09.2020 को खोला जायेगा। यदि उस दिन अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।
6. क्रय समिति द्वारा तकनीकी निविदा योग्य पाये जाने पर ही तदनुसार वित्तीय निविदा खोलने हेतु अलग से तिथि निर्धारित कर सूचित किया जाएगा।
7. अगर अनुमोदित न्यूनतम दर (एल-1) वाले निविदादाता आदेश के बाद निर्धारित समय तक गैस की आपूर्ति नहीं करते हैं तो द्वितीय दर (एल-2) वाले निविदादाता को एल-1 के दर पर आपूर्ति करने का आदेश दिया जायेगा एवं एल-1 वाले निविदादाता का आदेश रद्द करते हुए उनके जमातन राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं उन्हें काली सूची में डालने की कार्यवाई की जायेगी।
8. निम्नलिखित एवं समयावधि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगा।
9. आपूर्ति में शिकायत या आपूर्ति में बाधा पहुंचाने संबंधी शिकायत का स्थिति में उनके निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
10. निविदा शर्तें एवं कार्यों के प्रकार में फेर बदल करने का अधिकार अधीक्षक/क्रय समिति को सुरक्षित है।
11. क्रय समिति को बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. विवाद की स्थिति में विवाद का न्यायायिक क्षेत्र जिला स्तर पर मधेपुरा एवं राज्य स्तर पर पटना होगा।
13. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निविदादाता को संस्थान के साथ देय शर्तों के तहत एकरारनामा करना होगा। साथ ही अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का 10,00,000 (दस लाख) रुपये का बैंक गारंटी भी जमा करना होगा।


02/09/2020

अधीक्षक

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा


02/09/20